न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. रामचन्द्र पुत्र रामपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम गण्डलाई तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्वेता यादव उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. सावित्री देवी पत्नि महेशदान सिंह
3. विक्रमसिंह पुत्र महेशदान सिंह
4. संतरा कंवर पुत्री महेशदान सिंह
5. भवानीकंवर पुत्री महेशदान सिंह
6. दुर्गाकंवर पुत्री महेशदान सिंह
7. संतोष कंवर पुत्री महेशदान सिंह
8. मायाकंवर पुत्री महेशदान सिंह

   जाति राजपूत निवासी उसरिया की ढाणी तहसील खेतडी जिला झुंझुन राज.
9. जब्बरसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी नरेना तहसील किशनगढ जिला अलवर।
10. नानगराम पुत्र छगनलाल जाति सोनी निवासी खेरवाल जिला दौसा।
11. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी पीठासीन अधिकारी श्वेता यादव प्रकरण उनवानी रामचन्द्र आदि बनाम सावित्री आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. मु. नं. 41/2017)

उपस्थिति : श्री अशोक बैरवा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

: श्री वरूण नागर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 10 उपस्थित ।

:– निर्णय :–

दिनांकः 18.10.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष उपरोक्त उनवानी वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया तथा इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अ. धारा 151 जा. दी. का प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अ. धारा 151 जा. दी. में उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा ने दिनांक 4.7.2017 को अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 10 को जरिए अन्तरिम स्थगन आदेश से आराजी खसरा नं. 138/10, 139/10, 140/10 वाके ग्राम गण्डलाई तहसील रामगढ पचवारा में प्रार्थी की भूमि में कब्जे काश्त में दखल न करने हेतु प्रतिबन्धित फरमा दिया जो स्थगन आदेश आज दिन तक भी प्रभाव में है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी रामचन्द्र बनाम सावित्री आदि प्रा. पत्र अ. धारा 151 जा. दी. मु. नं. 41/2017 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

प्र. सं. : 37/2019 प्रार्थना पत्र स्था0

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 10 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं रही है। अप्रार्थीगण गांव में ऐलानिया कह रहे है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पटरी बैठ गई है तथा उक्त प्रकरण का जल्द की उनके पक्ष में फैसला हो जावेगा व अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त करवाकर रहेंगे। पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण में नजदीकी पेशीयां देकर उक्त प्रकरण में पारित अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त करने पर आतुर हो रहे है तथा स्पष्ट कह रहे है कि मेरा कोटा पूरा नहीं हो रहा है। मुझे तो कोटा पूरा करना है। इसलिये अबकी तारीख पर उक्त प्रकरण को खारिज करके पत्रावली दाखिल दफ्तर कर अपना कोटा बनाउंगा। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे व घुसते निकलते देखा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। पीठासीन अधिकारी आनन–फानन में अप्रार्थीगण से अनुचित लाभ प्राप्त कर उक्त प्रकरण को अनुचित रूप से खारिज करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाकर उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण उनवानी रामचन्द्र बनाम सावित्री आदि प्रा. पत्र अ. धारा 151 जा. दी. मु. नं. 41/2017 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 10 ने निवेदन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप कि अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी के साथ पटरी बैठ गई है, सरासर झूंठे एवं मनगढन्त आरोप है। पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण की तरफ से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। प्रार्थी ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध भी एक प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 24.08.2018 को खारिज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है जो बिल्कुल झूठे तथ्यो पर आधारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे स्पष्ट होता हो कि पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थीगण से मिलीभगत हो। प्रार्थी मात्र प्रकरण को लम्बे करने की गरज से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण चाहता है। अतः हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Lokesh Kumar Meena
Date: 2019.11.09 16:13:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: